प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.05.2025

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.05.2025 को थाना अंकुर विहार पर थाना सब्जी मण्डी, नोर्थ दिल्ली पर पंजीकृत जीरो एफ0आई0आर0 नं0 001/25 धारा 64(1)/69/316(2) बीएनएस जिसका घटनास्थल थाना अंकुर विहार का होने के कारण प्राप्त हुई। जिसमें वादिया द्वारा विपक्षी अरशद पुत्र मौहम्मद इकबाल निवासी बी 22 गली न0 10 श्रीराम कालोनी राजीव नगर खजूरी खास करावल नगर दिल्ली द्वारा शादी का झांसा देकर वादिया के साथ बलात्कार करने के आरोप लगाये गये है। उक्त जीरो एफ0आई0आर0 को तत्काल थाना अंकुरविहार के अपराध क्रम पर लेकर अन्तर्गत धारा 64(1)/69/316(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 25.05.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मौहम्मद अशद पुत्र मौहम्मद इकबाल निवासी बी 22 गली न0 10, श्रीराम कालोनी, राजीव नगर खजूरी खास करावल नगर दिल्ली, मूल निवासी ग्राम अबुल फजलपुर तबैला नजीबाबाद थाना नजीबाबद जनपद बिजनौर को डीएलएफ थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम दोनों की मुलाकात करीब 8-10 महीने पूर्व जामा मस्जिद दिल्ली में हुई थी। हम दोनों आपस में फोन पर बाते करते थे। उसके बाद मैनें उससे शादी करने का वादा करके उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध भी बनाए थे। हम दोनों करीब 01 महीने लिव-एन-रिलेशन में भी एक साथ पति पत्नी के रुप में कमरा लेकर अंकुर विहार में रहे थे। परन्तु बाद में मैनें किसी कारण से वादिया से शादी करने के लिए मना कर दिया था और उसे उसके घर पर भेज दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

मौहम्मद अशद पुत्र मौहम्मद इकबाल निवासी बी 22 गली न0 10, श्रीराम कालोनी, राजीव नगर खजूरी खास करावल नगर दिल्ली, मूल निवासी ग्राम अबुल फजलपुर तबैला नजीबाबाद थाना नजीबाबद जिला बिजनौर उम्र करीब 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा फर्जी पुलिस वाला बनकर रौब दिखाने वाला एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक जोडी खाकी वर्दी (पुलिस की), पुलिस आईडी कार्ड व 02 नेम प्लेट बरामद।

दिनांक 06-03-25 को श्रीमती नीता शर्मा गुर्जर नि0 चन्दर विहार दिल्ली द्वारा सूचना दी गयी कि मेरे पति सन्दीप कुमार द्वारा मुझे पुलिस मे नौकरी बताकर झूठ बोलकर शादी की है, तथा मेरे साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी देता है, वह पुलिस की वर्दी पहनकर लोगो में रौब जमाता है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर, सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 25-05-25 को अभि0 संदीप कुमार उर्फ संदीप भाटी पुत्र बेगराज सिंह नि0ग्रा0 बहादुरगढ़ थाना दौराला जिला मेरठ को हिन्डन मैट्रो स्टेशन के पास से मय पुलिस वर्दी, पुलिस आईडी कार्ड व 02 पुलिस नेम प्लेट जिन पर फर्जी पीएनओ अंकित है के सहित गिरफ्तार किया गया, अभि0 के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभि0 का नाम व पता –

संदीप कुमार उर्फ संदीप भाटी पुत्र बेगराज सिंह नि0ग्रा0 बहादुरगढ़ थाना दौराला जिला मेरठ उम्र 32 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त संदीप कुमार उर्फ संदीप भाटी उपरोक्त के विरुद्ध थाना नौएडा सै049 गौतमबुद्धनगर में पुलिस की फर्जी वर्दी पहनकर धोखाधडी कर पैसे ठग लेने के संबंध में पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं लोगो पर रोब दिखाने व धोखाधडी करने हेतु वर्दी व फर्जी पुलिस आई डी का इस्तेमाल करता हूँ, मैं पुलिस की वर्दी में इन्सटाग्राम पर फोटो लगा कर महिलाओ को फ्रेड रिक्वसट भेजता हुँ। और उसके बाद नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर उनसे पैसे ठग लेता हूँ इसीलिए थाना सै0 49 की नोएडा पुलिस ने मुझे जेल भेज दिया था, अभी दो दिन पहले ही मे जेल से आया हूँ। मैने नीता शर्मा के साथ फर्जी पुलिस वाला बनकर शादी की थी, और उसको लेकर नन्दग्राम में रहा था, जब उसे मेरे बारे में पता चला तो मैं उसको छोडकर भाग गया था।

बरामदगी का विवरण-

1- पुलिस वर्दी एक जोडी

2- पुलिस आईडी कार्ड,

3- दो पुलिस नेम प्लेट जिन पर फर्जी पीएनओ अंकित है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 23.05.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री गोपाल सिंह पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम प्रहलादगढी थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि दिनांक 23.05.2025 की रात्रि को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे घर के सामने खड़ी मेरी मोटर साइकिल को चोरी कर लिया गया है। तत्काल थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा बीएनएस की धारा 303(2) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 24.05.2025 को त्वरित कार्यवाही करते हुये उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम जखेडा थाना अतरौली जनपद अलीगढ हाल पता पण्डित जी के मकान में किराये पर गली नं0 3 निकट ज्योती पब्लिक स्कूल थाना खोडा जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को रैपिड मैट्रो स्टेशन के पास सर्विस रोड सैक्टर 12 वसुन्धरा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल व दूसरी मोटर साइकिल को अभियुक्त की निशानदेही पर वसुन्धरा सेक्टर 14 के सामने नगर निगम पार्क के पास से बरामद की गई। कुल 02 मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त अंकित कुमार के विरुद्ध बीएनएस की धारा 303(2) में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त अंकिल कुमार से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त से बरामद मोटर साइकिल को दिनांक 23.05.2025 की रात्रि को पहलादगढी थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र से चोरी किया था। अभियुक्त अंकित कुमार की निशानदेही पर दूसरी मोटर साइकिल को कुछ वर्ष पहले दिल्ली से चोरी किया था। जिसे वसुन्धरा सेक्टर 14 के सामने नगर निगम पार्क के पास से बरामद किया गया। अभियुक्त अंकित कुमार बन्द मकान व गलियों में खड़े वाहनों की रैकी करता है और मौका मिलते ही चोरी कर लेता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अंकित कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम जखेडा थाना अतरौली जनपद अलीगढ हाल पता पण्डित जी के मकान मे किराये पर गली नं0 3 निकट ज्योती पब्लिक स्कूल खोडा थाना खोडा जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त अंकित कुमार के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी का 01 अभियोग, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में लूट व आर्म्स एक्ट के 04 अभियोग, थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग कुल 06 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा बच्चा सकुशल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 25.05.2025 को थाना लिंक रोड पर वादिया निवासी भटौनिया मोहल्ला, साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 24.05.2025 को मेरा 10 वर्षीय पुत्र बिना बताये घर से कही चला गया है। तत्काल थाना लिंक रोड़ पुलिस द्वारा वादिया की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर तत्परता से कार्यवाही करते हुये टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट व सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आज दिनांक 25.05.2025 को बच्चे को रेलवे स्टेशन गाजियाबाद से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

पूछताछ का विवरणः- वादिया के पुत्र से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि वादिया ने किसी बात को लेकर अपने पुत्र को डांट दिया था। इसी बात पर वह अपने परिजनों से नाराज होकर घर से निकलकर साहिबाबाद रेलवे स्टेशन निकट होने के कारण लोकल ट्रेन में बैठकर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गया था।

बच्चे को सकुशल बरामद करने वाली पुलिस टीम।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।